12/

संख्या– /XXXVI(1)11 चार/2016

प्रेषक,

महेश चन्द्र कौशिवा,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 27 जून, 2016

**विषय : जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), जिला चम्पावत की पदावधि का नवीनीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2919/अठारह–न्याय सहा0/2016 दिनांक 18–05–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के पद पर आबद्ध श्री रमेश चन्द्र उप्रेती, का कार्यकाल दिनांक 28–07–2016 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनके कार्यकाल का अग्रेत्तर अवधि हेतु नवीनीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), चम्पावत् के रूप में श्री रमेश चन्द्र उप्रेती, अधिवक्ता के आबन्धन की अवधि का नवीनीकरण न करने का आदेश देते हुये जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), चम्पावत् के पद पर नया पैनल मांगे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः पारिणामिक रिक्ति के विरूद्व विधि परामर्शी निदेशिका के निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पैनल मा0 जिला न्यायाधीश महोदय की आख्या/अभिमत सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**प्रस्तर–7.03** : जब कभी किसी जिले में जिला सरकारी अधिवक्ता का पद तीन माह के भीतर रिक्त होने वाला हो या कोई नया पद सृजित हुआ हो, सम्बन्धित जिला अधिकारी विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के सदस्यों को रिक्ति के बारें में सूचित करेगा। विचार किये जाने के योग्य वे सदस्य होंगे, जिन्होंने जिला सरकारी अभिवक्ता की दशा में 10 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 07 वर्षो तक और अधीनस्थ जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 05 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो। जिलाधिकारी ऐसे सदस्यों से अपेक्षा करेगा, जो किसी विशेष पद पर नियुक्ति हेतु अपने नाम पर विचार कराना चाहते हों, कि वे उसे अपने नाम, और ऐसे विवरण दें, जैसे आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्षो में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो, तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि कोई हो, तो दो वर्षो की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्योरा और यह सूचना कि क्या उन्होंने आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया है।

(2) समीप के जिलों के जिला सरकारी अभिवक्ता और विधि व्यवसायी भी जिला सरकारी अभिवक्ता के पद के लिए अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त विवरण भेज सकते हैं, जो उन्हें उस जिले के जिला अधिकारी को अपनी ऐसी अभ्युक्ति सहित, जो वे उपयुक्त समझें, भेज देंगे, जिसमें नियुक्ति की जानी हो।

(3) इस प्रकार प्राप्त नामों पर जिला अधिकारी जिला न्यायाधीश से परामर्श करके विचार करेगा। जिला अधिकारी वर्तमान पदाधिकारियों (अतिरिक्त, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता) यदि कोई हो, के दावों पर उचित रूप से विचार करेगा और गोपनीय रूप से वरीयता के क्रम में प्रत्येक पद के लिए पद के लिए तीन विधि व्यवसायियों के नाम विधि परामर्शी को भेजेगा और इसके साथ ही विशेष रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी के चरित्र, व्यावसायिक आचरण तथा सत्यनिष्ठता के विषय में अपनी राय तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की उपयुक्तता और गुणावगुण के विषय में जिला न्यायाधीश की राय भी भेजेगा। जिला अधिकारी विधि परामर्शी को अपनी सिफारिशें भेजते समय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विवरण (बायोडाटा) तथा अपने और जिला न्यायाधीश द्वारा की गई ऐसी टीकाओं को भेजेगा, जो वह उचित समझें। सिफारिशे करते समय अभ्यर्थी की, यथास्थिति, सिविल, आपराधिक या राजस्व विधि की और हिन्दी की प्रवीणता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा। **प्रस्तर–7.05** शासन के सदस्यों, विधि परामर्शी या उसके अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी से किसी अभ्यर्थी की ओर से उसके समर्थन में किया गया मतार्थन अथवा भेंट उसे ऐसी नियुक्ति से अनर्ह कर देगा।

अतः उक्त रिक्त पद के लिए विधि परामर्शी निदेशिका के उक्त प्रस्तर में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 03 विधि व्यवसायियों का पैनल स्वयं के एवं जिला न्यायाधीश, चम्पावत के आख्या/अभिमत के साथ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

**संख्याः 01-चार(H)/16/XXXVI(1)/07 चार –जी/2016 तद्दिनांक ।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– जिला न्यायाधीश, जनपद चम्पावत।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
4– श्री रमेश चन्द्र उप्रेती, अधिवक्ता, जिला न्यायालय परिसर, चम्पावत।
5– एन.आई.सी./गार्ड फाइल ।

24.06.16

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव